मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 6-1 /80/1(3) भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 1980.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- जिन शासकीय सेवकों को निलंबन में रखा गया है या जिनके विरुद्ध जांच लम्बित हो, उनके मामलों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ।

====

संदर्भ:- इस विभाग का दिनांक 31 जनवरी, 1964 का ज्ञापन क्र. 209/2449/एक(तीन)/63

---x---

उपर्युक्त ज्ञापन में जिन शासकीय सेवकों को निलंबन में रखा गया है, या जिनके आचरण की जांच की जा रही हो, या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाने वाली हो उनकी पदोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किस प्रकार प्रक्रिया अपनाई जाएगी यह निश्चित किया गया है। शासन के पास समय समय पर इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा संदर्भ प्राप्त होते रहते हैं कि किस प्रकार के मामलों में यह माना जाएगा कि "विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाने वाली है" ?

2/ उपर्युक्त प्रश्न पर विचार करने के बाद शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा नस्ती में यह निर्णय लिया जा चुका हो कि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध विभागीय जांच की जाए, किन्तु उसके बाद किन्हीं

=2=

कारणों से आरोप पत्र इत्यादि जारी नहीं किये गए है ऐसे प्रकरण ही "विभागीय कार्य वाही प्रारंभ की जाने वाली है" माने जाएगें । ऐसे प्रकरणों में, जिनमें किसी शिकायत के बारे में केवल प्रारंभिक जांच की जा रही हो, विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश सील-बंद लिफाफे में नहीं रखी जाएगी क्योंकि उनमें उस समय तक विभागीय जांच करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है।

3/ इस प्रकार निम्नलिखित विभागीय जांच के प्रकरणों में ही उपर्युक्त ज्ञापन के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें सीलबंद लिफाफे में रखी जाएगी:-

§1§ जिन शासकीय सेवकों को निलंबन में रखा गया है।

§2§ जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभागीय जांच करने का निर्णय नस्ती में लिया जा चुका है, किन्तु आरोप पत्र इत्यदि तामील नहीं किये गए हों।

§3§ जिन मामलों में विभागीय जांच आरंभ हो चुकी है, अर्थात् आरोप पत्र इत्यादि तामील हो चुके है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

§एन0आर0कृष्णन§
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ क्रमांक 6- 1 / 80/1§3§ भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 1980

प्रतिलिपि:-

1- रजिस्टार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर
सचिव, राज्य सतर्कता आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल

2- राज्यपाल के सचिव
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल

§के0एन0श्रीवास्तव§
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

खान/-
27680